भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4516
दिनांक 19.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

4516. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लीः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म उद्यमों तथा उनसे सृजित रोजगार की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संबंध में जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बैंकों तथा अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों की पुनर्भुगतान क्षमता तथा विभिन्न संस्थानों के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों द्वारा अपनाई जा रही ब्याज दरों, मार्जिन आवश्यकताओं और ऋण प्रदान करने की प्रथाओं की समीक्षा की है;

(घ) यदि हाँ, तो ऋण शर्तों में अधिक एकरूपता और पारदर्शिता और बढ़ावा देने तथा योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्धता को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं; और

(ङ) क्या सरकार का योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पोर्टल पर उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम प्रणालियों का उपयोग करने का विचार है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): विगत तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म उद्यमों और सृजित अनुमानित रोजगार की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या **अनुलग्नक-I** में है।

(ख): ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से पीएमईजीपी में जागरूकता और भागीदारी का विस्तार करने के लिए बैंकों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय में किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:-

i. भावी उद्यमियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, जिसका उद्देश्य उनके प्रबंधकीय, तकनीकी और व्यावसायिक कौशल को विकसित और परिष्कृत करना है।
ii. भावी लाभार्थियों की पहचान करने और आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन और पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए पिछड़े और कम कार्य-निष्पादन वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना।
iii. भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन।
iv. पीएमईजीपी सहित सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में भावी उद्यमियों को शिक्षित करने के लिए बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविर और ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

v. हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर 19 क्षेत्रीय भाषाओं में लाभार्थियों से भौतिक रूप में पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार करना।

vi. विभिन्न उद्योगों पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के 1,000 से अधिक मॉडल की विस्तृत श्रृंखला तैयार की गई है और पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

vii. सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना से पहले और बाद में लाभार्थियों को पथ-प्रदर्शन सहायता और उनका क्षमता वर्धन करना।

(ग): भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के साथ, चरणबद्ध तरीके से बैंकों द्वारा स्वीकृत अग्रिमों पर ब्याज दर को विनियमित किया है। अग्रिमों पर ब्याज दरें बैंकों द्वारा अपने निदेशक मंडल की मंजूरी से निर्धारित की जाती हैं, जो आरबीआई द्वारा इस संबंध में जारी बोर्ड विनियमन के अध्यधीन है। अग्रिमों पर ब्याज दर कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे- निधि लागत, प्रचालन लागत, अग्रिम का औसत प्रतिशत और उधारकर्ता की उधार-पात्रता । भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति लागू करने की सलाह दी है और वे विनियमों के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अध्यधीन, उक्त नीति के अनुसार ऋण संबंधी निर्णय लेंगे।

(घ): ऋण देने की शर्तों में स्थिरता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने और पीएमईजीपी के अंतर्गत ऋण पहुंच को सुदृढ़ करने हेतु निम्नांकित कदम उठाए गए हैं:

i. अधिकतम परियोजना लागत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है।

ii. उच्च सब्सिडी के लिए पात्र विशेष श्रेणी के अंतर्गत आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडरों के आवेदकों को शामिल करना।

iii. एमएसएमई को ऋण देने पर आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार, 20 लाख रुपये तक के ऋण वाली परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा किसी संपार्श्विक प्रतिपूर्ति पर जोर नहीं दिया जाएगा। सभी वित्तपोषक बैंकों को इस प्रावधान का सख्ती से अनुपालन करने पर पुनः बल दिया गया है।

iv. बैंकों द्वारा पीएमईजीपी आवेदनों को अस्वीकार करने के कारणों की समीक्षा की गई है तथा "सेवा क्षेत्र से बाहर" और "लक्ष्य पूरा हो चुका है" जैसे कारणों को अस्वीकृति के आधार से हटाया गया है।

v. बैंकों ने अपनी संबंधित शाखाओं को स्कीम दिशानिर्देशों का पालन करके और बैंक की अनुमोदित ऋण नीतियों के अनुरूप समान ऋण आकलन प्रक्रियाओं का पालन करके पीएमईजीपी के अंतर्गत ऋण आवेदनों का समयबद्ध मूल्यांकन और निपटान सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

vi. एक ऑनलाइन पीएमईजीपी पोर्टल पारदर्शिता की सुविधा, प्राप्त आवेदनों की ट्रैकिंग और समग्र प्रसंस्करण तंत्र में एकरूपता बनाए रखने के लिए मौजूद है।

vii. ऋणों की उचित मंजूरी और मार्जिन मनी के संवितरण को सुनिश्चित करने हेतु नियमित आधार पर शीर्ष स्तरीय बैंकर्स बैठकें, राज्य स्तरीय बैंकर्स बैठकें और जिला स्तरीय बैंकर्स बैठकें आयोजित की जाती हैं।

viii. मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात केवीआईसी, केवीआईसी के राज्य कार्यालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और वित्तीय संस्थानों के साथ आवधिक निगरानी और समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

ix. पीएमईजीपी के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए राज्य और जिला स्तर पर नियमित आधार पर राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) और जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ङ): आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और जवाबदेही में सुधार करने के लिए एकीकरण हेतु यांत्रिक मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सहित उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकियों को पीएमईजीपी पोर्टल से जोड़ने संभावना तलाशी जा रही है, जिससे लाभार्थियों के लिए अधिक पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

अनुलग्नक-I

दिनांक 19.03.2026 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4516 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित **अनुलग्नक-I**

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंर्तगत स्थापित सूक्ष्म उद्यमों और सृजित अनुमानित रोजगार की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं	राज्य	वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25	
		सहायता-प्रदत्त इकाइयों की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार	सहायता- प्रदत्त इकाइयों की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार	सहायता- प्रदत्त इकाइयों की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार
1	अंडमान निकोबार	121	968	135	1080	61	488
2	आंध्र प्रदेश	3073	24584	5577	44616	3249	25992
3	अरुणाचल प्रदेश	158	1264	169	1352	156	1248
4	असम	2596	20768	2417	19336	3170	25360
5	बिहार	4459	35672	6837	54696	5035	40280
6	चंडीगढ़	15	120	10	80	5	40
7	छत्तीसगढ़	2543	20344	2379	19032	1853	14824
8	दिल्ली	72	576	50	400	26	208
9	गोवा	66	528	68	544	39	312
10	गुजरात*	3071	24568	3000	24000	1783	14264
11	हरियाणा	1559	12472	1398	11184	788	6304
12	हिमाचल प्रदेश	930	7440	974	7792	796	6368
13	जम्मू एवं कश्मीर	12023	96184	15065	120520	9863	78904
14	झारखंड	1851	14808	2101	16808	1452	11616
15	कर्नाटक	5618	44944	4672	37376	2839	22712
16	केरल	3129	25032	3389	27112	2260	18080
17	लद्दाख	91	728	122	976	135	1080
18	लक्षद्वीप	2	16	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	5957	47656	5292	42336	2626	21008
20	महाराष्ट्र**	3625	29000	2766	22128	1857	14856
21	मणिपुर	545	4360	348	2784	608	4864
22	मेघालय	306	2448	280	2240	1114	8912
23	मिजोरम	412	3296	401	3208	484	3872
24	नागालैंड	469	3752	517	4136	1262	10096
25	ओडिशा	3880	31040	2975	23800	1867	14936
26	पुदुचेरी	25	200	30	240	38	304
27	पंजाब	1564	12512	1469	11752	970	7760
28	राजस्थान	2037	16296	1678	13424	916	7328
29	सिक्किम	57	456	132	1056	316	2528
30	तमिलनाडु	6140	49120	6814	54512	3949	31592
31	तेलंगाना	2540	20320	2503	20024	1850	14800
32	त्रिपुरा	703	5624	588	4704	730	5840
33	उत्तर प्रदेश	11601	92808	11689	93512	5518	44144
34	उत्तराखंड	1803	14424	1354	10832	734	5872
35	पश्चिम बंगाल	2126	17008	1919	15352	1359	10872
योग		**85167**	**681336**	**89118**	**712944**	**59708**	**477664**

दमण एंव दीव सहित** * दादरा और नगर हवेली सहित।***